न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 183/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. सरदारसिंह पिता गमेरसिंह जी राजपूत, निवासी डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. प्रेमसिंह उर्फ शक्तिसिंह पिता गमेरसिंह जी राजपूत, निवासी डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 06.07.2017 प्र.सं. 255/11

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 22–10–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डाकनकोटडा में आराजी नंबर 497 रकबा 0.4400 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है। उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा 60 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। उक्त जमीन पर पहले कब्जा गमेरसिंह जी का था तथा उसके बाद वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण ने काफी मेहनत व लागत लगाकर उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाया है। अतः वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा बताया कि वादीगण का लगातार कब्जा नहीं रहा, उन्हें धारा 91 की कार्यवाही के तहत बेदखल कर दिया गया है। वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं इसलिए वह स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखा जाकर वादीगण की उपस्थिति में दिनांक 06–07–2017 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–11–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट दिनांक 13–09–2017 की पेशी समझ रहा था एवं उक्क्त दिनांक को उपस्थित होने पर पेशकार साहब ने कहा कि आज आपकी पत्रावली लगी हुई नहीं है मिल जायेगी तो हम आपको सूचित कर देंगे इसके बाद अपीलान्ट को बताया कि आपका वाद फैसल कर दिया गया है। इस पर अपीलान्ट ने नकले प्राप्त कर तुरन्त अपील प्रस्तुत कर दी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि दिनांक 06–07–2017 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–09–2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13–11–2017 को अर्थात करीब 2 माह विलम्ब से प्रस्तुत हुई है, किन्तु प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना कैम्प में निर्णय पारित कर दिया, जबकि मामला शहादत के लिए जेर पेण्डिंग था तथा दूसरी पार्टी को वादी से क्रोस करना था, परन्तु वादी से क्रोस किये बिना ही दावा खारिज कर दिया, जो त्रुटि

पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोाित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपीलान्ट/वादीगण की उपस्थिति में उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06–07–2017 पर अपीलान्ट सरदारसिंह के हस्ताक्षर हैं तथा उनकी उपस्थिति लिखी हुई है। अतः अपीलान्ट का यह कथन की उसे सुने बिना निर्णय पारित किया गया है, साक्ष्यों के विपरीत कथन होने से मान्य नहीं है। अपीलान्ट/वादीगण ने अपना 60 वर्षो का कब्जा बताते हुए एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार काश्तकारी कानून में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी देय नहीं है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने भी इसी आधार पर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2017 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

सरदारसिंह पिता गमेरसिंह राजपूत, निवासी डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर**

अपील नं.....**183 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....06**.....माह.....**07**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**.10**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पंकज भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2017 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**.10**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।